

Sale Rs Area Rent Stamp
2,30,000 Gumla 02/23 500 9200/



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 02feb8f6f536f5bfdbba

Receipt Date : 21-Jun-2021 09:00:24 am

Receipt Amount : 9200/-

Amount In Words : Nine Thousand Two Hundred Rupees Only

Token Number : 20210000055226

Office Name : SRO - Gumla

Document Type : Sale Deed

Payee Name : PUSHPA DEVI (Vendee)

GRN Number : 2106035024



21/6/21

-: For Office Use :-



2021/Gum/884/BK1/877

Handwritten signature and date 21/6/2021

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पुष्पा देवी - 21-06-21

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद का उपयोग पूर्ण में नहीं किया गया है।



Handwritten signature

Handwritten signature

Mt. Member 17-6-21

Mt. Member 17-6-21

Map Attached

Freeprint

AD 6900.00
B 2000.00
Salari 3.00
ypple 1.00
8904.00

मिश्रा जी 2,30,000 रु. पत्नी का कर मवाजि
पुत्र लारव लीरा एडलर रु. 2,00,000 पत्नी का कर मवाजि
रु. 2,00,000 पत्नी का कर मवाजि

नियम 24 के अधिन एव 1908 का अधिनियम 1908 की धारा 10 के अधिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम इंडिया स्टाम्प एक्ट 1899 का अनुच्छेद (या) क संख्या के अधिन यथावत स्टाम्प सहित (या) स्टाम्प शुल्क से निगुह्यत का स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

निबंधन पदाधिकारी

संचालक श्रीजा 505/11 थाना नं. 44
खाता सं. 10 एव प्लॉट सं. 665
का प्रतिबंधित सूची से मिलान किया
एव प्रतिबंधित सूची से मुक्त पाया।

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया नहीं किया।

2/6/2021
लिपिक

नाम मोकिर - मनीष कुमार मिश्रा पिता स्व० जगेश्वर मिश्रा जाति

ब्राह्मण पेशा गृहस्थी ग्राम दुन्दुरिया थाना गुमला

जिला गुमला भारतीय नागरिक।

आधार संख्या :- 962448158122
मोबाईल संख्या :- 7004962625
पैन संख्या :- BWSPM3216M
श० प० नं० :- 275/2021

वन भूमि सूची से जॉचा प्रविष्टी नहीं पाया
प्रधान लिपिक

21/6/2021

Id. Sanjay Kumar Singh
Shri Lali Aconraj Singh
At- A.S.P. Road Gumbla
UID- 7338 2957 0269
M.N. 9471711314

पुष्पा देवी

17-6-2021

तफसील जमीन :-	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
	10	665	0.02 ¹ / ₄ ए०
	{दस}	{छः सौ पैसठ}	{लगभग सावा दो डी०}
			{990वर्ग फीट}

चौहदी :- उत्तर - नीज विक्रेता
दक्षिण - नीज विक्रेता
पूरब - रास्ता 10 फीट
पश्चिम - किशोर मिश्रा वगैरह

पैमाईश :- उत्तर तरफ जानिब पुरब से पश्चिम 66'0"
दक्षिण तरफ जानिब पुरब से पश्चिम 66'0"
पुरब तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 15'0"
पश्चिम तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 15'0"

कुल रकबा लगभग सावा दो डीसमिल कुल नौ सौ नब्बे वर्गफिट भूमि।

मनमोकिर को रुपैया के जरूरी वास्ते मकान बनाने एवं अन्य पारिवारिक कार्यों का हुआ के मोकिर अलैह से मो० 230000/- (दो लाख तीस हजार) रुपैया चेक के माध्यम से लिया जिसका चेक नं० 063863 जो इण्डियन बैंक गुमला शाखा के द्वारा दिया जो मो० 225000/- (दो लाख पचीस हजार) वो मो० 5000/- (पाँच हजार) नगद दिया वो रुपैया मजकूर को जरसमन करार दे कर खाना नं० 5 का जमीन को आज के रोज से बेचा वो बिक्री वैला कलामी किया चाहिए अब सय बिक्री में आज के रोज से खरीददार मजकूर को खुद दखलकार होकर वो रह कर अपने मसरफ में लावें के सय बिक्री में मनमोकिर वारिसान कायम मोकामियान का जिस किसीम का हक वो दावी था अइन्दे होता सो सब हक वा दावी खरिददार मजकूर को हुआ वो सय बिक्री का

सतीश कुमार मिश्रा

21/6/2021

पूष्पा देवी

सतीश कुमार मिश्रा

17 - 6 - 2021

खारिज दाखिल स्टेट ऑफ झारखण्ड के सिरीस्ते में करा कर खास रसीद लिया करेगें। इसमें मनमोकिर वो उनके वारिसान काएम मोकामियान को कोई उजूर नहीं है वो न आएन्दे होगा इसलिए अपने खुशी वो राजी से कुल रूपैया वसुल पाकर बिक्री वैला कलामी लिख दिया के वख्त पर काम आवें।


आज तारीख 16/06/2021 ईश्वी मोकाम गुमला।

यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण (सैनिक या असैनिक) ही किया गया है। यह घोषित करते है कि प्रासांगिक भूमि, भूदान, भूदान भूहदबन्दी लीज, भूअर्जन तथा भूवन्दोबस्ती की नहीं है। यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रासांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है।

इस संदर्भ में यह भी घोषित किया जाता है कि संविदा {पट्टा} में वर्णित भूमि आदिवासी खाते की नहीं है। यह जमीन प्रतिबंधित सूची से बाहर है। मैं लेख्यकारी घोषणा करता हूँ कि झारखण्ड भूहदबन्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधिन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूहदबन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

जनीष कुमार मिश्रा

17-6-2021



17/06/21
 Mr. Neeraj Kumar
 Panchee
 17-06-21

जनीष कुमार मिश्रा
 17-06-21

जनीष कुमार मिश्रा

17-6-2021

जनीष कुमार मिश्रा

मैं लेख्यधारी घोषणा करती हूँ कि झारखण्ड भूहदबन्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधिन घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा खरीदगी की जाने वाली जमीन भूहदबन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।



Handwritten signature
Ms. Neeraj Singh
Kansal
17-06-21

पुष्पा देवी

17-06-21



प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में 5 पेज टोईप किया गया है जिसमें खंडन नहीं है।

ड्राफ्टकर्ता Ms. Neeraj Singh गुमला के ड्राफ्ट पर बिक्री वैला कलामी टंकित किया वो पढ़ कर सुना व समझा दिया।

गनीष कुमार मिश्रा

17-6-2021

Handwritten signature

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी का फोटो दस्तावेज में लगा है एवं बाये हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान दस्तावेज में मेरे समक्ष लिया गया।

Enrollment - 3H-301

टंकक
प्रभात दास
प्रभात दास

Ms. Neeraj Singh
ड्राफ्टकर्ता का *Handwritten signature*
17-06-21